न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2019

उनवान

1. अमरा उर्फ अमरावपुत्र हीरा
2. नरेन्द्र पुत्र अमरा जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

1. अंजीलाल पुत्र लादू
2. गोपाल
3. चन्ता
4. नीला
5. ललिता
6. अभयराज
7. रूकमा
8. नौरती पि0 हरदयाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामपुरा हनुवतिाया, नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें सीताराम रावत
2 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री नवाब कुरैशी
9 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–14.8.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नम्बर 902 रकबा 0.20 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त खसरा नम्बर में दर्ज खातेदार चांदा पत्नी हरदयाल की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 2 से 8 है। एवं लादू पुत्र भूरा का वारिस अप्रार्थी संख्या 1 है। खसरा नम्बर 977 प्रार्थी का खेत है जिस पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 902 के उत्तरी भाग का उपयोग करते है। खसरा नम्बर 977 पर जाने के लिये वर्तमान में जो मार्ग विधमान है वह खसरा नम्बर 980, 979, 901 के मध्य से होकर दर्शित है। खसरा नम्बर 902 पडत है उस पर अप्रार्थीगण ने कभी भी कृषि कार्य नही किया है। खसरा नम्बर 902 का उपयोग ग्रामीणजन भी रास्ते के रूप में करते है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 902 को अवरोधित करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 977 पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता विधमान नही होने से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 902 में से 10 फिट चौडा व 160 फिट लम्बा मार्ग डि0एल0सी0 दरों पर दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरियें अधिवक्त जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 977 पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त भूमि पर चारदीवारी कर के आवासीय उपयागे में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण ने बदनियतिपूर्वक अप्रार्थीगण की जमीन हडपने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौके पर उक्त भूमि पर कोई मार्ग नही है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 980, 990, 991 का उपयोग किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 से 8 ने प्रकरण में जवाब पेश नही किया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार "आराजी भूमि खसरा नम्बर 977 में आवागमन हेतु सबसे लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 902 की उत्तर दिशा की मेड से लगता हुआ है। प्रार्थी द्वारा 160 फिट लम्बा 10 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावति रास्ता खसरा नम्बर 902 मे से सबसे नजदीक व आवश्यक है। खसरा नम्बर 977 के समीप तालाब की पाल पर बालाजी का विशाल मन्दिर बना हुआ है। उक्त आराजी के लगते हुये बालाजी के मन्दिर तक रास्ता जाता है। यदि खसरा नम्बर 92 में से रास्त दिया जाता है तो इस मन्दिर तक सुपष्ट आवागमन संभव है।"

उक्त रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विधमान नही है। प्रार्थीगण की आराजी राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि ही दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर चारदीवारी जानवरों से सुरक्षा के लिये बनायी गयी है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। साथ ही उक्त रास्ता अन्य ग्रामवासियों के अवागमन हेतु भी कार्य में लिया जायेगा। मौका रिपोर्ट में भी कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है। राजस्व मानचित्र अनुसार आबादी भूमि से जो रास्ता आता है वह अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 902 पर हर आकर रूकता है जिससे आगे मार्ग अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर से प्रस्तावित है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है : ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नम्बर 902 में सें 10 फिट चौडा व 160 फिट लम्बा कुल 1600 वर्ग फिट आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 5184/ अक्षरे पांच हजार एक सौ चौरासी रूपये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को उनके हिस्सेनुसार भूगतान करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.08.24 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: